



प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ०प्र०, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 26 मार्च, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में एस०एन० मेडिकल कालेज, आगरा में इलेक्ट्रिक सेफ्टी एवं फायर सेफ्टी के लिए आवश्यक 630 के०वी०ए० के ट्रांसफार्मर एवं अन्य आन्तरिक एवं वाह्य विद्युतीकरण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम०ई०/निर्माण/2025-26/412, दिनांक 10.12.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत रु० 5.00 करोड़ तक की योजनाओं/परियोजनाओं के व्यय के प्रस्तावों के मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य के परीक्षण हेतु महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति की दिनांक 10.12.2025 को सम्पन्न बैठक के क्रम में परीक्षणों परान्त अवधारित समिति की संस्तुति का कार्यवृत्त एवं संस्तुतियों का विवरण तथा आगणन की प्रति उपलब्ध कराते हुए प्रकरण में आवश्यक अग्रिम कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एस०एन० मेडिकल कालेज, आगरा में इलेक्ट्रिक सेफ्टी एवं फायर सेफ्टी के लिए आवश्यक 630 के०वी०ए० के ट्रांसफार्मर एवं अन्य आन्तरिक एवं वाह्य विद्युतीकरण कार्य हेतु तकनीकी समिति द्वारा आंकलित लागत रु० 208.82 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजीलेखा पक्ष में लेखाशीर्षक-4210-03-105-72-राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में फायर फाइटिंग सिस्टम एवं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि में से प्रश्नगत कार्य की सम्पूर्ण धनराशि रु० 208.82 लाख (रु० दो करोड़ आठ लाख बयासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं -

नियम व शर्त/प्रतिबन्ध-

1. आगणन में प्राविधानित मदों की मात्राओं का यथावत् मानते हुए आगणन का परीक्षण किया गया है।
2. क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा इन कार्यों हेतु प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर दरें प्राप्त कर निर्माण कार्य सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाये।
3. आगणन में 18 प्रतिशत जी०एस०टी० का प्राविधान किया गया है, जो नियमानुसार देय होगा।
4. आगणन में 10 प्रतिशत सेंटेंज का प्राविधान किया गया है, जो नियमानुसार देय होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5. आगणन में लेबरसेस नियमानुसार देय होगा।
6. आगणन में विभागीय दक्षता हेतु 5 प्रतिशत कम कर दिया गया है।
7. कार्यों में प्रयुक्त डिजाइन, सामग्री आदि हेतु कार्यदायी संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी।
8. प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाए।
9. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान एवं भविष्य में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
10. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियाँ तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
12. अवमुक्त की जा रही धनराशि को बैंक एवं डाकघर में नहीं रखा जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जायेगा।
13. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. प्रकरण में वित्तीय नियमों, शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन कार्यवाही हेतु अनुमोदित।

3- इस संबंध में होने वाला व्ययरूपये 2,08,82,000 (रुपये दो करोड़ आठ लाख बयासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या031 लेखा शीर्षक4210031057200** राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में फायर फाइटिंग सिस्टम एवं इलेक्ट्रिकल सेफ्टीमानक मद24 वृहत् निर्माण कार्यके नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

संख्या व तददिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा।
7. आयुक्त, उ०प्र० आवास विकास परिषद, लखनऊ।
8. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
9. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ०प्र० शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।